

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर, दिनांक

- 5 OCT 2023

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषय:-नव सृजित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मारवाड जंक्शन-जिला पाली, बागीदौरा-जिला बांसवाड़ा, सीकरी-जिला भरतपुर एवं जोबनेट-जिला जयपुर जिला हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.09.2023 के द्वारा नव सृजित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मारवाड जंक्शन-जिला पाली, बागीदौरा-जिला बांसवाड़ा, सीकरी-जिला भरतपुर एवं जोबनेट-जिला जयपुर जिला हेतु निम्नलिखित पद सृजित करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैंक/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-अंशुका	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीएसडी अधिकारी	-	-	-	1	4
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-ग	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1	4
3	डॉक्टिरोबार ग्रेड-ग	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1	4
4	रीडर ग्रेड-ग	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1	4
5	लिपिक ग्रेड-ग	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	2	8
6	चतुर्थ कर्मचारी ग्रेड-ग	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	3	12
	कुल				9	36

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये प्रति न्यायालय निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5	पीएसडी अधिकारी के कमरे हेतु 1 A.C.	0.45
	योग	6.02

यह व्यय लेखामद 2014-00-105-(02)-[00]01(राज्य निधि)(प्रतिबद्ध) के अन्तर्गत प्रभार्य होगा।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। नवीन भवन निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार राशि रुपये 297.10 लाख (केन्द्रीयंश राशि रुपये 178.26 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 118.84 लाख) लेखामद 4059-80-051-03-03-17 वृहद निर्माण कार्य में उपलब्ध बजट प्रावधान से स्वीकृत किये जाते हैं।

अतः भवन निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त नवीन न्यायालय हेतु राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने तक के लिये भवन किराये पर लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102302000 दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी, विधि विभाग को केन्द्रीयंश की राशि प्राप्त किये जाने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक: G/A-4(i)(a)135/2023/835-837, 839-844 दिनांक: 16-10-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं जयपुर जिला।
2. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, मारवाड़ जंक्शन-जिला पाली, बागीदौरा-जिला बांसवाड़ा, सीकरी-जिला भरतपुर एवं जोबनेर-जिला जयपुर जिला।
3. OSD (Computer) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को Website पर Upload करने बाबत।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)